HIGH COURT BAR ASSOCIATION, ALLAHABAD

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President
Radha Kant Ojha ✆ 9415217248

Hony. Secretary
Satya Dheer Singh Jadaun ✆ 9839024686

Senior Vice President
Manoj Kumar Mishra 9415369350

Vice President
Niraj Kumar Tripathi 9415625185
Surendra Nath Mishra 9450635316
Dharmendra Singh Yadav 8574241399
Satyam Pandey 9794110204
Shyama Charan Tripathi (Munchun) 9695756432

Join Secretary Administration
Sanjay Singh Somvanshi 9415256798

Join Secretary Library
Yadvesh Yadav 9450585652

Join Secretary Press
Ashutosh Tripathi 9415707207

Join Secretary Women
Ushma Mishra 9984551328

Treasurer
Arun Kumar Singh 9792502040

Member of Governing Council
Pooja Singh 8543957474
Priyanka Sharma 7007373939
Annapurna Singh 9838712214
Rakhi Kumari 8563831665
Anuj Kumar Singh 9415316691
Jitendra Singh 9651101001
Dileep Kumar Yadava 9307778303
Anurag Shukla 9453636990
Abhishek Tiwari 9451511274
Syed Faiz Hasnain 7860127272
Akhilesh Kumar Shukla 9794446555
Hari Mohan Kesarwani 8808957178
Deepankar Dwivedi 9793188438
Manav Chaurasia 9415290750
Vikrant Neeraj 9839484634

H.C.B.A. Ref. No. .... Dated : 07.09.2022

प्रकाशनार्थ

प्रयागराज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद आज दिनांक 07.09.2022 को सायंकाल 4:00 बजे लाइब्रेरी हाल में **"सीमित अवधि के भीतर अपील पर सुनवाई नही होने पर बन्दी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार"** विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के **अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कान्त ओझा** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसका संचालन **संयुक्त सचिव प्रेस श्री आशुतोष त्रिपाठी** द्वारा किया गया। कार्यक्रम में **मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ एवं मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दया शंकर मिश्र** उपस्थित रहे।

महासचिव श्री सत्य धीर सिंह जादौन द्वारा मुख्य अतिथि मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी, विशिष्ट अतिथि मा0 न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ जी एवं मुख्य वक्ता श्री दया शंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता का परिचय कराया गया एवं सम्मेलन की आवश्यकता एवं विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के आरम्भ में अध्यक्ष व महासचिव सहित समस्त पदाधिकारियों द्वारा **मुख्य अतिथि मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी, विशिष्ट अतिथि मा0 न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ जी एवं मुख्य वक्ता श्री दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता** का माल्यार्पण करने के पश्चात अंगवस्त्रम, श्रीफल सहित स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।

विशिष्ट अतिथि मा0 न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ जी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का आभार प्रकट करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा अपील में जमानत का निस्तारण त्वरित गति से किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में बढ़ते मुकदमों के बोझ को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं को कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए जिससे न्यायालय द्वारा जल्द निस्तारण किया जा सके।

मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि अपील में जमानत की सुनवाई में अनावश्यक विलम्ब से वादी/दोषी का हित व साथ ही साथ पीड़ित का हित भी प्रभावित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मात्र जेल में होने की अवधि के आधार पर जमानत का निस्तारण नही होना चाहिए। ऐसा करते समय पीड़ित पक्ष का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश के भिन्न–भिन्न राज्यों में अपराध करने की मनोवृत्ति में भिन्नता को भी ध्यान में रखकर सुनवाई की जानी चाहिए।

मुख्य वक्ता श्री दया शंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता ने विस्तारपूर्वक अपील में जमानत की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का दृष्टांत देते हुए वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा इस तरह के आयोजन को अनवरत किए जाने का अनुरोध किया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के **अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधा कान्त ओझा** ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा भविष्य में भी सम–सामयिक न्यायिक विषयों व माननीय न्यायलय के आदेशों की विस्तृत जानकारी के लिए नियमित सम्मेलन के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं द्वारा विषय उपरोक्त पर माननीय न्यायमूर्तिगण से किए गये प्रश्न व उसपर माननीय न्यायमूर्तिगण से प्राप्त मार्गदर्शन/जवाब पर सन्तोष जाहिर करते हुए कहा कि सम्मेलन की सार्थकता अधिवक्तागण की भागीदारी से ही सुनिश्चित होगी।

अंत में **श्री मनोज कुमार मिश्र (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)** द्वारा सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं अधिवक्तागण का आभार प्रकट किया।

, सर्वश्री नीरज कुमार त्रिपाठी, सत्यम पाण्डेय, (उपाध्यक्षगण), संजय सिंह 'सोमवंशी' (संयुक्त सचिव, प्रशासन), आशुतोष त्रिपाठी (संयुक्त सचिव, प्रेस), ऊष्मा मिश्रा (संयुक्त सचिव, महिला), अरूण कुमार सिंह (कोषाध्यक्ष), अन्नपूर्णा सिंह चन्देल, दिलीप कुमार यादव, अनुराग शुक्ला, अभिषेक तिवारी, दीपांकर द्विवेदी, मानव चौरसिया एवं विक्रान्त नीरज (कार्यकारिणी सदस्यगण) सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

(आशुतोष त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव (प्रेस)

ASHUTOSH TRIPATHI
Joint Secretary (PRESS)
High Court Bar Association
Allahabad